

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No.
3991/2025

Sonu S/o Vijay Kumar, Age 18 Years, R/o Dubbi Banas, Police Station Soorwal, District Sawai Madhopur (Raj.). (At Present District Jail, District Sawai Madhopur).

----Accused/Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No.
4268/2025

Deepak Kumar S/o Shridas, Age 18 Years, R/o Dubbi Bidrakha, P.s. Soorwal, District Sawai Madhopur (Raj.) (Confined in Sawai Madhopur Jail).

----Accused/Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ashindra Gautam, Adv. Mr. Hemant Kankoriya, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Sharma, Addl. G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

29/04/2025

1. प्रार्थी-अभियुक्त सोनू पुत्र विजय कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-3991/2025 तथा प्रार्थी-अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र श्रीदास की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-4268/2025 अपनी नियमित जमानत हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-483 के अन्तर्गत पुलिस थाना-मानटाउन, जिला-सवाई माधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना

रिपोर्ट संख्या-72/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 66-डी आईटी एक्ट एवं धारा 13 आरपीजीओ में पेश किया गया है।

2. उक्त दोनों जमानत प्रार्थना-पत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण सुविधा की दृष्टि से इस एक आदेश द्वारा किया जा रहा है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। मामले में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, उसमें प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का नाम नहीं है। पुलिस द्वारा मौके से पायलट मीना नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया था। अनुसंधान के दौरान पायलट मीना के कब्जे से बरामद फोन में सिम प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के नाम से होना बताई गई है तथा इस आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को मामले में लिप्त किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 18 वर्षीय नवयुवक है। प्रार्थी/अभियुक्त सोनू को दिनांक 10.03.2025 को तथा प्रार्थी/अभियुक्त दीपक को दिनांक 01.03.2025 को गिरफ्तार किया गया था, तब से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए उनका जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 66-डी आईटी एक्ट एवं धारा 13 आरपीजीओ के अपराध का आरोप है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 18 वर्षीय नवयुवक है। प्रार्थी/अभियुक्त सोनू दिनांक 10.03.2025 से तथा

प्रार्थी/अभियुक्त दीपक दिनांक 01.03.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **सोनू पुत्र विजय कुमार** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-3991/2025 तथा प्रार्थी-अभियुक्त **दीपक कुमार पुत्र श्रीदास** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-4268/2025 को स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-72/2025, पुलिस थाना-मानटाउन, जिला-सवाई माधोपुर में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु प्रत्येक अभियुक्त **एक लाख रुपये** का बंध-पत्र तथा **पचास-पचास हजार रुपये** की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्तगण की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उन्हें बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

8. प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण, विचारण की समाप्ति तक हर महीने की 25 तारीख को संबंधित पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे तथा संबंधित थानाधिकारी, प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की उपस्थिति रिपोर्ट हर महीने विद्वान विचारण न्यायालय को भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे। यदि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण द्वारा उन पर अधिरोपित उक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो विद्वान लोक अभियोजक, संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की जमानत को खारिज करवाये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

9. उक्त आदेश की प्रति, संबंधित एस.एच.ओ. को अनुपालनार्थ हेतु भेजी जावे।

(ASHUTOSH KUMAR),J

Badal/149-150